संख्या-29/2026/390/001-12-5099-73-2022

प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक** **23 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य पोषित "प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजंक्शन) योजना" हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-20/चावल/प्र०कृ०उ०स्वा०यो०/2026-27, दिनांक 09 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, 09-प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजनान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू० 647.17 लाख के सापेक्ष रूपये 644.33 लाख (रूपये छः करोड़ चौवालीस लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा, जब कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना के कार्यक्रमों का संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन तथा योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।
3. उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और एक मद से दूसरे मद में धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा। निर्गत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाए बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
5. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी तथा प्राविधानित बजट सीमा के अन्तर्गत ही भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उ०प्र० का होगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
8. कृषि निदेशक उ०प्र० जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का इम्पैनक्टा एसेसमेन्टश कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।
9. योजनान्तयर्गत चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हे दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/ 2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 5,89,33,000 (रुपये पाँच करोड़ नवासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090900 प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 55,00,000 (रुपये पचपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001090900 प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-29/2026/390/001-12-5099-73-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर कृषि निदेशक (चावल) कृषि भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं सम्नवय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in